न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री ओ.पी.बुनकर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 4/2023 (अपील)

GCMS No. 2023/00031

अनवान

1. श्री सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग ऋषभदेव, तहसील ऋषभदेव जिला उदयपुर।

— अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्री कालूलाल पिता पुरूषोत्तमलाल ब्राहम्ण निवासी सलूम्बर फौत

   1/1. रतनीबाई पति स्व. श्री कालुलाल शर्मा निवासी सलूम्बर।

   1/2. श्री प्रेमनारायण पिता स्व. श्री कालूलाल शर्मा निवासी सलूम्बर।

   1/3 श्री शंकरलाल पिता कालूलाल शर्मा निवासी सलूम्बर।

   1/4 श्री भद्रेश पिता कालूलाल शर्मा निवासी सलूम्बर ।

2. श्रीमती कमला पत्नी स्व. श्री भेरूलाल ब्राहम्ण निवासी सलूम्बर ।
3. प्रीती पुत्री स्व. श्री भेरूलाल ब्राहम्ण निवासी सलूम्बर ।
4. श्रीमती पीना पुत्री श्री भेरूलाल ब्राहम्ण निवासी सलूम्बर ।
5. वन्दना पुत्री श्री भेरूलाल ब्राहम्ण निवासी सलूम्बर ।
6. दीपिका पुत्री श्री भेरूलाल ब्राहम्ण निवासी सलूम्बर ।
7. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार सलूम्बर ।

—

रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित

1. श्री कल्पित जैन, अपीलान्ट्स अधिवक्ता।
2. श्री नरपतसिंह चुण्डावत, अधिवक्ता रेस्पोटेन्ट्स।

अपील अंतर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

अपील विरुद्ध तहसीलदार सलूम्बर नामा. स. 814 निर्णय दिनांक 28.04.2023

* निर्णय *

दिनांक— 19-07-2023

अपीलाण्ट द्वारा अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 मय स्थगन प्रा.पत्र के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मृतक वादी कालूलाल के द्वारा कमला व अन्य द्वारा दो पृथक—पृथक विवादन उपखण्ड अधिकारी सलूम्बर के समक्ष प्रस्तुत किये जो क्रमशः प्रकरण संख्या 30/13 एवं 43/13 राजस्व वाद के [illegible] 2013 में संस्थित किये गये एवं पूर्ण ट्रायल के उपरान्त दोनों प्रकरण संयुक्त निर्णय के [illegible] से उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2023.08.01 17:08:19 IST
Reason: SelfAttested

द्वारा दिनांक 24.04.2023 को उक्त दोनो वाद अपीलार्थी के विरूद्ध स्वीकार किये गये है उक्त प्रकरणों के निर्णय की पालना में आलोच्य नामान्तरण तहसीलदार सलूम्बर द्वारा स्वीकार कर लिये गये। आलोच्य नामान्तरण के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा निम्न आधारों पर प्रस्तुत करता है।

आलोच्य नामान्तरण संख्या 814 विधि सम्मत नही है एवं अत्यन्त जल्दबाजी में बिना कानूनी बिन्दुओं को देखे अप्रायोगिक रूप से खोला गया है एवं स्वीकृत किया गया है जो कि अपास्त किये जाने योग्य है। उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर द्वारा जो निर्णय पारित किया वह विधि के सुस्थापित सिद्धान्तो के सर्वथा परे है जिस पर अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत की जानी थी एवं अपीलार्थी इस हेतु अग्रसर ही था कि तहसीलदार सलूम्बर द्वारा अत्यन्त जल्दबाजी में उक्त नामान्तरण खोल दिया गया है जबकि उक्त निर्णय पारित ही दिनांक 24.4.2023 को किया गया था एवं इस हेतु अपील की मयाद कम से कम नकल मिलने के 30 दिवस की रहती है। ऐसी स्थिति में उक्त नामान्तरण पूर्ण जांच के उपरान्त भी 24.05.2023 से पूर्व नहीं खोला जा सकता था लेकिन न जाने किस जल्दबाजी में तहसीलदार सलूम्बर द्वारा उक्त नामान्तरण आनन फानन में स्वीकृत किया गया है जो कि विधि सम्मत नहीं है एवं अपास्त किये जाने योग्य है। सर्वविदित है कि अपीलार्थी एक राजकीय प्राधिकारी है जिसे अपील से पूर्व अपने उच्चाधिकारियो एवं विधिवेत्ताओ एवं विधिक प्राधिकारियो से निर्देश एवं राय प्राप्त करनी थी जिस हेतु सत्यप्रति प्राप्त कर आवश्यक अवलोकन कर एतद्संबंधी निर्देश प्राप्त करना आवश्यक था जिसमें समय लगना समीचीन था। यहां यह तथ्य उल्लेखनीय है कि जब निर्णय पारित हुआ तब मंत्रालयिक कर्मचारियों की हडताल प्रभावी थी एवं ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को प्रकरण के निर्णय की नकल ही निःशुल्क उपलब्ध करायी गयी जबकि उपखण्ड अधिकारी का यह दायित्व था कि वे राजकीय प्राधिकारी को नकल उपलब्ध कराते। इस प्रक्रियात्मक त्रुटि के कारण एक तरफ तो अपीलार्थी को निर्णय की प्रति उपलब्ध नही करायी गई दूसरी तरफ तहसीलदार को आनन फानन में निर्णय की सत्यप्रति प्राप्त हो गयी जो प्रक्रिया को दूषित एवं प्रभावित होना पुष्ट करता है एवं दूषित प्रक्रिया के अग्रेषण में पारित किया गया निर्णय विधि सम्मत नही है एवं अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ तहसीलदार का यह दायित्व था कि प्राधिकारी के विरूद्ध पारित निर्णय के संबंध में नामान्तरण खोलने से पूर्व उच्चाधिकारियो से तकनीकी बारिकीयो एवं प्रशासनिक विधियो के संबंध में जानकारी लेता और उसी अनुसार जांच करता कि उक्त नामान्तरण खोले जाने योग्य है अथवा नहीं एवं एतद्पश्चात् ही राजकीय प्राधिकारी के विरूद्ध एवं उनके अधिकारों के विरूद्ध नामान्तरण खोलता किन्तु बिना सोचे समझे अक्षरशः नामान्तरण खोलने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गयी है जो कि अपास्त किये जाने योग्य है।

आलोच्य निर्णय का सार्थक अवलोकन किया जावे तो यह स्पष्ट है कि उक्त वाद कमलादेवी ने पृथक से पेश किया है किन्तु मृतक कालूलाल द्वारा वाद पेश किये जाने के उपरान्त मृतक श्री कालूलाल स्वर्ग सिधार गये है। यदि उनकी [illegible] कोई नामान्तरण खोला जाना यदि विधि सम्मत भी माने तो तहसीलदार को [illegible] से संबं[illegible] या राजस्व निरीक्षक को निर्देश

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2023.08.01 17:08:19 IST
Reason: SelfAttested

देकर मृतक के विधिक प्रतिनिधियो की जांच करायी जानी आवश्यक थी कि मृतक के वाद में संयोजित उत्तराधिकारीगण के अतिरिक्त अन्य कोई उत्तराधिकारी है अथवा नहीं लेकिन तहसीलदार ने सीधे ही निर्णय की पालना में नामान्तरण दर्ज करने का आदेश दिनांक 28.04.2023 को पारित कर दिया जो कि विधि सम्मत नहीं है एवं अपास्त किये जाने योग्य है। राजकीय प्राधिकारी के विरूद्ध कोई भी कार्यवाही करने के लिये धारा 80 सिविल प्रक्रिया संहिता में कम से कम 60 दिन का नोटिस दिया जाना आज्ञापक प्रावधान किया गया है। तहसीलदार ने उक्त आवश्यक विधिक प्रावधान का उपयोग ही नहीं किया है अन्यथा अपीलार्थी अपनी वेदना या पक्ष अवश्य ही तहसीलदार के समक्ष रखता एवं सम्यक जांच के उपरान्त ही कोई कार्यवाही हो पाती लेकिन अत्यन्त जल्दबाजी में दिनांक 28.04.2023 को ही नामान्तरण खोलने का आदेश पारित कर दिया गया है जो कि विधि सम्मत नहीं है अपास्त किये जाने योग्य है। नामान्तरण से पूर्व उक्त भूमि केशरियाजी महाराज अर्थात भगवान ऋषभदेव के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित थी। यहां यह तथ्य उल्लेखनीय है कि मंदिर मूर्ति के संबंध में कोई भी विवादन संस्थित किये जाने अथवा मंदिर मूर्ति के विरूद्ध कोई भी निर्णय या आदेश पारित किये जाने के लिये पृथक से प्रक्रिया निर्धारित है। तहसीलदार के नामान्तरण आदेश में यह कहीं उल्लेखित नहीं है कि मंदिर मूर्ति एवं उसका संरक्षण करने वाले प्राधिकारी देवस्थान विभाग के विरूद्ध नामान्तरण दूषित है एवं अपास्त किये जाने योग्य है। जमाबन्दी का सार्थक अवलोकन किया जावे तो यह स्पष्ट है कि खाता संख्या 56 जो पूर्णतया केशरियाजी महाराज स्थान धुलेव के नाम एकल रूप से दर्ज था किन्तु उक्त खाते में उक्त भूमि उदयपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा सलूम्बर के रहन होने का आडमान भी जमाबन्दी में अंकन था। ऐसी स्थिति में नामान्तरण खोले जाने से पूर्व उदयपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक का ओपिनियन, राय या पक्ष जानना एवं उसे अभिलेख पर लेना आवश्यक था क्योंकि उक्त भूमि बैंक के रहन रखी हुई थी और इसका हित मंदिर मूर्ति में न्यस्त था लेकिन इस रहन आडमान के संबंध में कोई अंकन नामान्तरण में नहीं किया गया है एवं राहीन तथा रहन रखने वाले के संबंध में कोई निर्णय पारित नहीं हुआ है ऐसे में उक्त नामान्तरण अपूर्ण , अपवित्र एवं अविधि सम्मत है तथा आलोच्य नामान्तरण अपास्त किये जाने योग्य है क्योंकि बैंक भी एक राजकीय संरक्षण तथा पर्यवेक्षण प्राप्त संस्था है जिसका वित्तीय हित इस नामान्तरण से प्रभावित होता है किन्तु रहन के संबंध में कोई विवेचना न तो उपखण्ड अधिकारी सलूम्बर के निर्णय में न ही तहसीलदार, सलूम्बर के आदेश में नामान्तरण के सम्बन्ध में एवं इस प्रकार आलोच्य नामान्तरण अपास्त किये जाने योग्य है। नामान्तरण बिना वारिसान की जाचं के पारित किया । पंचायत के कोरम में सम्यक रूप से रखे बिना जो नामान्तरण खोल दिया गया है वह विधि सम्मत नहीं है एवं अपास्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना है कि आलोच्य नामान्तरण संख्या 814 दिनांकित 24.05.2023 जो तहसीलदार सलूम्बर द्वारा राजस्व ग्राम सलूम्बर की विभिन्न आराजियात के संबंध में खोला गया अपास्त फरमाया जावे एवं इस नामान्तरण के अग्रेषण में की गयी समस्त कार्यवाहियां अवैध, अकृत व शून्य घोषित की जावे। अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय उचित समझे प्रदान किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2023.08.01 17:08:19 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया एवं रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये जाकर अपना पक्ष/प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। प्रकरण मे रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1/1 से 1/4 एवं 2 से 6 की ओर से अधिवक्ता श्री नरपतसिंह चुण्डावत उपस्थित होकर जवाब पेश कर निवेदन किया कि मौजा सलूम्बर का नामान्तरण संख्या 814 दिनांक 25.5.2023 विधि सम्मत होकर श्रीमान न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.04.2023 की पालना में दायर होकर श्रीमान तहसीलदार साहब द्वारा दिनांक 25.05.2023 को प्रमाणित किया है जो निर्णय दिनांक 24.04.2023 के एक माह बाद नामान्तरण दायर होकर फैसल किया है, जो विधि सम्मत है। वैसे नामान्तरण दायर होकर फैसल किया है, जो विधि सम्मत है वैसे नामान्तरण करण की सीमा समय नहीं है। हाल में रजिस्ट्री होते ही उसी उक्त नामान्तरण दायर किये जाते है इसी तरह न्यायालय निर्णय के तत्काल बाद ही नामान्तरण दायर किया जा सकता है। न्यायालय का निर्णय दिनांक 24.04.2023 को हुआ है। नामान्तरण दिनांक 25.05.2023 को किया है, जो एक माह बाद किया है। नामान्तरण के लिये तहसीलदार को किसी जांच की आवश्यकता नहीं रहती है। केवल निर्णय आदेश की पालना करनी होती है। निर्णय दिनांक 24.04.2023 को हुआ, वकील देवस्थान के हस्ताक्षर से स्पष्ट है कि निर्णय की जानकारी उन्हें भी दिनांक 24.04.2023 को थी, उस दिन हडताल नहीं थी। वैसे वकील देवस्थान ने निर्णय को रेकार्ड से सही व कानूनी मानते हुए अपील नहीं करने की राय प्रकट की है। तहसीलदार द्वारा नामान्तरकरण प्रमाणित न्यायालय के आदेश से किया है, किसी उच्चाधिकारी की राय का विधि में कोई प्रावधान नहीं है। निर्णय एवं डिक्री की पालना में नामान्तरण खोला गया है। तहसीलदार को न्यायालय आदेश के अतिरिक्त कोई जॉच करने का अधिकार नहीं होता है। तहसीलदार द्वारा नामान्तरण को प्रमाणित करने हेतु राजकीय प्राधिकारी को नोटिस देने का कानूनी प्रावधान नहीं है। न्यायालय के आदेश की पालना तुरन्त करनी होती , अगर तहसीलदार समय पर नामान्तरण नहीं कराते तो कोर्ट की अवमानना कार्यवाही हो सकती है। राज्य विधिक आदेश है। हाल जमाबन्दी में जो खाता केसरिया जी महाराज का नवीन सेटलमेन्ट विभाग द्वारा किया वह इस हाल जमाबन्दी के पूर्व जमाबन्दी के खातेदार का नाम दर्ज नहीं कर कानूनी भूल की है, उसे ही न्यायालय के निर्णय आदेश से पूर्व जमाबन्दी अनुसार खातेदार का नाम दर्ज किया है इसलिये हाल खातेदार श्री केसरियाजी महाराज का खाता के बजाय पूर्व जमाबन्दी के खातेदार का नाम दर्ज नहीं कर कानूनी भूल की है, उसे ही न्यायालय के निर्णय आदेश से पूर्व जमाबन्दी अनुसार खातेदार का नाम दर्ज किया है। इसलिये हाल खातेदार श्री केसरियाजी महाराज का खाता के बजाय पूर्व जमाबन्दी के खातेदार के नाम कायम हुए जो कानूनी सही है। श्री केसरियाजी महाराज ने कभी बैंक से ऋण नहीं लिया पूर्व खातेदारों ने ऋण लेकर कुआ आदि खुदवाये जिससे भूमि रहन दर्ज हुई है। ऋण बैंक का सम्पूर्ण जमा होने पर अनापत्ति पत्र तहसीलदार साहब का खातेदार द्वारा पेश किया गया है। नामान्तरण का निरस्तारण पंचायत क्षैत्र नहीं है सलुम्बर नगरपालिका क्षैत्र है। यह नामान्तरण बाबत नहीं खोला गया है। डिक्री की पालना में खोला गया है। देवस्थान विभाग की ओर से माननीय न्यायालय राजस्व अपील

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2023.08.01 17:08:19 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारी, उदयपुर में प्रकरण संख्या 40/2023, 41/2023 दो अपीले कर रखी है। अपील में समस्त बिन्दु सारहीन होकर नामान्तरण अपील से अपीलार्थी का कोई हित नहीं है नामान्तरण न्यायालय आदेश से हुआ है, जो विधि अनुसार सही है। उपरोक्त बिन्दुवार जवाब श्रीमान अवलोकनार्थ प्रेषित होकर निवेदन है कि नामान्तरण तहसीलदार द्वारा विधि अनुसार न्यायालय आदेश की पालना में खोला है जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलाण्ट विधि विरूद्ध होने से निरस्त फरमाई जावे। प्रकरण मे उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट्स ने बहस प्रारम्भ करते हुए अपील मे वर्णित तथ्यो को दोहराया तथा निवेदन किया कि नामान्तरण विधि सम्मत नहीं है। कोई जांच नहीं की गई है। मंदिर मूर्ति की भूमि है , अपील का समय भी नहीं दिया गया है। दावा कालूलाल की ओर से प्रस्तुत किया गया था वारिसान की जांच नहीं की गयी । प्रकिया का पालन नहीं किया गया । एक भी पुत्री का नाम नहीं है। दावें में पुत्री नहीं होने का उल्लेख नही हैं सहकारी भूमि विकास बैंक का रहन का अंकन है उसको भी नहीं सुना गया है। नामान्तरकरण जल्दबाजी में किया गया है। नामान्तरण को निरस्त किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स ने अपने बहस में जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं निवेदन किया कि उक्त अपील नामान्तरण की की गई है। डिक्री ऑर्डर की अपील नहीं है। केवल नामान्तरण की ईरेग्यूलिरीटी देखनी है। नामान्तरण निर्णय के एक माह बाद खुला है। नियमों के अनुसार कभी भी नामान्तरण खोला जा सकता है। कोर्ट के निर्णय की पालना तहसीलदार को करनी थी तथा तहसीलदार द्वारा यही कार्यवाही की गई है। इस नामान्तरण का वारिस से कोई लेना देना नहीं है। बेटिया भी पक्षकार है। तहसीलदार द्वारा कुछ गलत नहीं किया है। भूमि को रहन हमारे पुर्वजों द्वारा रखा गया । देवस्थान विभाग द्वारा कोई लोन नहीं लिया गया । नामान्तरण फिक्सल प्रोसेडिंग है इससे टाईटल नहीं मिलता है यदि राजस्व अपील अधिकारी द्वारा डिक्री निरस्त की जाती है तो नामान्तरण स्वतः ही निरस्त हो जावेगा। नामान्तरण से कोई राईट्स उत्पन्न नहीं होते है। सक्षम न्यायालय के आदेश से तहसीलदार नामान्तरण खोलते है। अतः अपील निरस्त की जावे।

रेस्पोडेन्ट्स के अधिवक्ता द्वारा अपने समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये :–

- RRD 1994 page 659
- RRD 1993 page 50
- RRT 2003 page 647
- RRT 2005 page 774

हमने उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया । विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का सद्भावनापूर्वक अध्ययन किया। यह अपील नामान्तरकरण संख्या 814 दिनांक 24.05.2023 के विरूद्ध पेश हुयी है। नामान्तरण की प्रमाणित प्रति जो अपील पत्रावली के साथ संलग्न है उसका ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। इस नामान्तकरण में तहसीलदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2023.08.01 17:08:19 IST
Reason: SelfAttested

सलुम्बर द्वारा निम्न आदेश दिनांक 09.06.2023 अंकित है – '' नामान्तरकरण सख्या 814 दिनांक 24.05.2023 डिक्री का मेरे द्वारा दिनांक 25.05.2023 को स्वीकृत किया गया । परन्तु अपील मियाद समाप्त होने से पूर्व पटवारी हल्का ने नामान्तरकरण दायर कर रूटिन में स्वीकृत करा दिया गया जो पुनरीक्षण (रिव्यु) कर ग्राम सलुम्बर नामान्तरण संख्या 814 वादग्रस्त को अस्वीकृत किया जाता है।'' इससे स्पष्ट है कि जिस नामान्तरकरण संख्या 814 दिनांक 24.05.2023 की अपील दिनांक 16.06.2023 को इस न्यायालय में पेश हुई है उस नामान्तरण को तहसीलदार सलुम्बर द्वारा दिनांक 09.06.2023 को पुनरीक्षण (रिव्यु) कर अस्वीकृत कर दिया गया है। यह अपील स्वतः ही निष्फल (Infructuous) होकर वाद कारण समाप्त हो चुका है। अतः उक्त अपील स्वीकार योग्य नही पायी जाती है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य नही होने से अस्वीकार कर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

(ओ.पी. बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2023.08.01 17:08:19 IST
Reason: SelfAttested